an>

Title: Discussion on the Millenium Development Goals.

HON. SPEAKER: The House shall now take up Discussion under Rule 193. Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank to raise a discussion on the Millennium Development Goals.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 193 के अंतर्गत सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य पर चर्चा शुरु करने का सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। 6 से 8 सितंबर, 2000 न्यूयार्क में दुनिया के 179 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर संकल्प लिया कि 2015 तक दुनिया से गरीबी मिटाएंगे, भुखमरी दूर करेंगे, कुपोÂ◌ाण खत्म करेंगे, अशिक्षा दूर करेंगे, स्वच्छता और शुद्ध पेयजल प्रदान करेंगे, बेरोजगारी जो देश, दुनिया और मानवता के लिए अभिशाप है, उसे दूर करेंगे, स्त्री और पुरुÂ◌ा में समानता का भाव पैदा करेंगे, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाएंगे, स्वास्थ्य सहित सतत पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करते हुए समान वृद्धि और सतत विकास को अर्जित करेंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य की संकल्पना की गई और सदस्य देशों के द्वारा यह भी संकल्प लिया गया कि दुनिया के सभी देश अपनी नीतियों को बनाकर इस दिशा में तेजी से काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, भारत ने भी इसी दिशा में बहुत तेजी से काम किया है और वÂ◌ार्न 2000 से लगातार इस दिशा में प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं तथा स्वत: काफी सक्रिय भूमिका भी निभा रहा है। भारत के सामने मुख्यत: आठ ऐसे लक्ष्य थे जिन पर भारत को युद्ध स्तर पर काम करना था। इसमें प्रमुख रूप से गरीबी हटाना, भुखमरी मिटाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य थे।

अत्यधिक गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन की दिशा में यह कहा गया था कि जितनी भी गरीबी है, गरीबों का उस तिथि में जो प्रतिशत था, उसको वÂ◌ार्न 2015 तक आधा करना था। वÂ◌ार्न 1990 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 47.8 था और उसको 18.6 प्रतिशत करने का निर्धारित लक्ष्य था। अभी हम 21.92 प्रतिशत पर हैं और अभी इस दिशा में हमें काफी कार्य करने हैं। हालांकि गरीबी को दूर करने तथा भुखमरी को मिटाने की दिशा में बहुत सारे काम किये गये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जैसे 1990 में भुखमरी से ग्रस्त जो तीन वÂ◌ार्न से कम उम्र के बच्चे थे, उनकी स्थिति 1990 में 52 प्रतिशत थी और इसको 26 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य था जो अभी 40 प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। हालांकि देश ने वÂ◌ार्न 2000 से बहुत सारे क्षेत्रों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चाहे वह मनरेगा की स्कीम हो, राÂ◌ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो, चाहे राÂ◌ट्रीय शहरी आजीविका मिशन हो, चाहे जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन हो, चाहे इंदिरा आवास हो, नेशनल हैल्थ मिशन हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, मिड-डे मील हो, एकीकृत शिशु विकास योजना हो, ऐसे बहुत सारे विÂ◌ायों पर आगे काम किया लेकिन जिस गति से वह काम होना चाहिए था, वह आज भी अपेक्षित है और इसीलिए हमारी सरकार ने इस दिशा में इस आपूर्ति के लिए चाहे आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जन धन योजना की शुरुआत हुई हो, चाहे प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई हो, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात हो, मेक-इन-इंडिया, स्किल्ड इंडिया, डिजिटल इंडिया सहित तमाम ऐसे अनेकानेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है जो गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं यह समझता हूं कि इस दिशा में चाहे वह मनरेगा ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : निशंक जी, क्योंकि बहुत सारे सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे, हम नियम 193 के इस विÂ◌ाय को बाद में ले लेंगे। आप बाद में इसको कंटिन्यू करें। अगले सत्र में इसे लिया जाएगा।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैडम, ठीक है। यह अगले सत्र में होगा।

17.58 hrs

COMPENSATORY AFFORESTATION

FUND BILL, 2015

HON. SPEAKER: Now we take up Item no. 15- Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पहले दो मिनट बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Prakash Javadekar, please continue to say whatever you want to say.

....(*Interruptions*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसी विचित्र व्यवस्था देश में पैदा हुई है क्योंकि एक मसला सुप्रीम कोर्ट में गया कि वनीकरण के लिए, एफॅरेस्टेशन के लिए जो कंपनसेट्री एफॅरेस्टेशन फंड होता है और नैट प्रेजेंट वैल्यू का भी पैसा मिलता है, 2001 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मसला आया तो उनको ऐसा लगा कि कुल मिलाकर 2001 में कोर्ट ने ऑबजर्व किया कि इसका केवल 83 प्रतिशत ही यूज हो रहा है। 17 प्रतिशत यूज नहीं हो रहा है।

18.00 hrs

इसलिए एक व्यवस्था एडहॉक सीएएमपीए की बनी और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कहा ः

"funds generated for protecting ecology and providing regeneration should not be treated as a fund under article 266, article 283 or article 284 of the Constitution."

इस फैसले के कारण वनीकरण का सारा पैसा राज्यों को जाना बंद हो गया और सबका पैसा बैंक में पड़ा रहा। यह किसी पब्लिक एकाउंट में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : छह बज गए हैं। हम इस विÂाय को कम्प्लीट करने तक सदन का समय बढ़ाते हैं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, वÂान 2001 के बाद 35 हजार करोड़ रुपए बैंकों में पड़े हैं और जिस काम के लिए रखे हैं, उसके लिए उपयोग नहीं हो रहे हैं। उसका केवल 10 परसेंट हिस्सा ही यूज़ हो रहा है। इसका परिणाम यह हुआ।...(व्यवधान) That is what I am saying. So, what happens is this. It is an unfortunate story. The money, such a large amount which is meant for afforestation is not being used for afforestation. It is in banks and more importantly States cannot spend; neither can anybody. Therefore, we have brought this Bill which gives powers to the States. The funds which are locked for the last 12 years will be released to the States for more afforestation and more ecological services. ...(*Interruptions*) That is what I am saying today. It has been locked for the last 12 years. ...(*Interruptions*)

The amount which was just Rs. 2,000 crore in 2001 has now grown to Rs. 35,000 and next year when this will be passed it would be Rs. 38,000 crore. ...(*Interruptions*) Should this not be used for greening? Should this not be used for generation of employment? Should this not be given to the States? ...(*Interruptions*) यह राज्यों का पैसा है और राज्यों को मिलना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यह स्कीम सुप्रीम कोर्ट को दी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन बैल्ट से संबंधित जज एक दिन ही सिर्फ दो घंटे के लिए बैठता है इस कारण सुनवाई नहीं हुई। हमने चाहा है कि यह बिल जल्दी पास होना चाहिए, क्योंकि यह राज्यों के हित में है। हम सबके सुझाव लेना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम विचार नहीं करते हैं। हम स्वयं स्टैंडिंग कमेटी को देने के लिए तैयार हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी में इसे दो महीने में कीजिए। हम राज्यों को पैसा देने के लिए तैयार हैं। आप कितनी जल्दी रिएक्शन देते हैं, यह हम देखना चाहते हैं।

HON. SPEAKER: You have given the suggestion. It will go to the Standing Committee.

...(*Interruptions*)

18.03 hrs

GOVERNMENT BILLS -Referred ....Contd.